न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 128/2022

ए0यू0 स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय– 19 ए, घुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर वर्तमान कार्यालय जी–18, आई. ओ.सी. पैट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

...प्रार्थी /सिक्योर केडिटर

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री जन्सी राम मीना (बोरोवर)
   पता–खुरी कलां, दौसा, राजस्थान–303507
2. ब्रजमोहन मीणा पुत्र श्री जन्सी लाल मीणा (को–बोरोवर)
   पता–विधालय मौहल्ला, गॉव रोहीडा कला, खुरी कलां, दौसा, राजस्थान–303507
3. कल्याणसहाय पुत्र श्री भोंरीलाल (को–बोरोवर)
   पता–1, रोहडा कला, तह. दौसा, दौसा, राजस्थान–303507

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलवाने हेतु।

उपस्थित : श्री राजेश उदाला, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांकः 30.12.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 5,00,000/– (रूपये पांच लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जानेएवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र सं0 128/2022

अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) को सुना गया। हमने प्रार्थी प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई प्रोपर्टी सिचुएटेड एट ग्राम पंचायत, ग्राम रोहडा कलां, राजस्थान क्षेत्रफल 65.44 वर्गगज जो कि श्री ब्रजमोहन मीणा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेंसर (इंडिया) लिमिटेड) को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:14:34 IST
Reason: SelfAttested